मंथली पॉलिसी रिव्यू

फरवरी 2021

इस अंक की झलकियां

केंद्रीय बजट 2021-22 पेश (पेज 2)

2021-22 में सरकार ने 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है और प्राप्तियां (उधारयों के अतिरिक्त) 19,76,424 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है।

15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी (पेज 3)

केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% सुझाया गया है जोकि 2020-21 के हिस्से के लगभग बराबर है। आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए 10.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के अनुदानों का सुझाव दिया है।

बजट सत्र का पहला चरण समाप्त (पेज 2)

सत्र की कार्यसूची में 10 बिल विचार और 20 बिल पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) बिल, 2021 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया गया है।

संसद में दो बिल, लोकसभा में एक बिल पारित (पेज 2)

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2021 और मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण बिल, 2020 को पारित किया गया है। आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पारित किया गया है।

2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.4% की दर से बढ़ी (पेज 6)

2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.4% की दर से बढ़ी। 2020-21 की पहली दो तिमाही में नकारात्मक वृद्धि के बाद मैन्यूफैक्चरिंग, निर्माण और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

मॉनिटरी पॉलिसी रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय (पेज 7)

रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय रहीं। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखने का फैसला किया।

लॉकडाउन को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ाया गया (पेज 4)

कंटेनमेंट जोन्स में अनिवार्य लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देश बढ़ाए गए हैं। इनसे बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति है, जोकि विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अधीन होंगी।

कार्यालयों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी (पेज 5)

सिर्फ लक्षण रहित लोगों को कार्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। अगर दो से कम मामलों का पता चलता है तो काम शुरू करने से पहले उन जगहों को डिसइन्फेक्ट किया जाना चाहिए जहां मरीज पिछले 48 घंटों के दौरान गया हो।

इंटरमीडियरीज़ और डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के लिए नियम अधिसूचित (पेज 18)

इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के अंतर्गत जारी नियमों में इंटरमीडियरीज़ के लिए तत्काल कार्रवाई करने और डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट की गई है। उसमें शिकायत निवारण प्रणाली का भी प्रावधान है।

कैबिनेट ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नई विनिवेश नीति को मंजूरी दी (पेज 16)

नीति में रक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के पीएसईज़ की न्यूनतम मौजूगी की परिकल्पना की गई है। अन्य क्षेत्रों के पीएसईज़ का निजीकरण किया जाएगा, या उन्हें बंद किया जाएगा।

PRS Legislative Research ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ■ www.prsindia.org

स्टैंडिंग कमिटीज़ ने तीन बिल्स पर अपनी रिपोर्ट सौंपी (पेज 10)

संसदीय स्टैंडिंग कमिटीज़ ने फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल, 2020, एंटी- मैरीटाइम पायरेसी बिल, 2019 और डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2019 पर अपनी रिपोर्ट सौंपीं।

स्टैंडिंग कमिटीज़ ने सामाजिक सुरक्षा, निवेश और 5जी पर अपनी रिपोर्ट सौंपी (पेज 21)

श्रम, वाणिज्य और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी संबंधी स्टैंडिंग कमिटीज़ ने क्रमशः अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करने तथा 5जी से जुड़ी तैयारियों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।

संसद

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

बजट सत्र 2021 का पहला चरण समाप्त

बजट सत्र 2021 का पहला चरण 29 जनवरी से 13 फरवरी (12 दिन बैठक) के बीच चला।[1] दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा।[2]

संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2021 को केंद्रीय बजट पेश किया। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई।

बजट सत्र के विधायी कार्यों में 10 बिल चर्चा और पारित होने और 20 बिल पेश और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें से चार बिल पहले अध्यादेश के रूप में जारी किए गए थे। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2021 और मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण बिल, 2020 को संसद में पारित किया गया। आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पेश और पारित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल, 2021 को राज्यसभा में पेश और पारित किया गया।

ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) बिल, 2021 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021 को भी लोकसभा में पेश किया गया है।

लेजिसलेटिव एजेंडा के अधिक विवरण के लिए कृपया यहां देखें। बजट के विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्रीय बजट 2021-22

केंद्रीय बजट 2021-22 पेश

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश किया।[3] बजट की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **व्यय**: सरकार ने 2021-22 में 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। इसमें 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 14% की वार्षिक वृद्धि है।
- **प्राप्तियां**: कुल प्राप्तियां (शुद्ध उधारियों के अतिरिक्त) 19,76,424 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जिसमें 2019-20 की तुलना में 6% की वार्षिक वृद्धि है।
- **जीडीपी वृद्धि**: 2021-22 में 14.4% की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर (यानी वास्तविक वृद्धि जमा मुद्रास्फीति) का अनुमान है। बजट 2020-21 में जीडीपी के 10% की दर से बढ़ने का अनुमान था जोकि बाद में -13% पर संशोधित हुआ।
- **घाटे**: 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी के 5.1% पर और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% पर लक्षित है। प्राथमिक घाटे (जोकि ब्याज भुगतान को हटाकर राजकोषीय घाटा होता है) का लक्ष्य जीडीपी का 3.1% है।

तालिका 1: केंद्रीय बजट 2021-22 (करोड़ रुपए में)

मद	वास्तविक 2019-20	संशोधित 2020-21	बजटीय 2021-22	परिवर्तन (वार्षिक दर) (वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22)
कुल व्यय	26,86,330	34,50,305	34,83,236	14%
कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना)	17,52,679	16,01,650	19,76,424	6%
राजकोषीय घाटा (शुद्ध उधारी)	9,33,651	18,48,655	15,06,812	27%
जीडीपी का %	*4.6%*	*9.5%*	*6.8%*	
राजस्व घाटा	6,66,545	14,55,989	11,40,576	31%
जीडीपी का %	*3.3%*	*7.5%*	*5.1%*	

नोट: वास्तविक 2019-20 से बअ 2021-22 में परिवर्तन उस अवधि के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को संदर्भित करता है।
Sources: Budget at a Glance, Union Budget 2021-22; PRS.

कर प्रस्ताव: बजट में प्रॉविडेंट फंड्स से होने वाली ब्याज आय पर 2.5 लाख रुपए तक की कर छूट का प्रस्ताव है। अन्य प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कुछ स्थायी टैक्स इनसेंटिव्स को वित्तीय वर्ष 2021-22 तक बढ़ाना, (ii) पेट्रोल, डीजल और कुछ वस्तुओं के आयात पर नए कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवपलमेंट सेस की वसूली, और (iii) आयकर आकलन के मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा छह वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करना।[3]

नीतिगत प्रस्ताव: बजट में घोषित गैर कर प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 2021-22 में एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक और पावन हंस के पूरे विनिवेश का लक्ष्य, (ii) इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और सात टेक्सटाइल पार्क्स बनाना, और (iii) स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने तथा नई बीमारियों की पहचान एवं उनके इलाज हेतु नए संस्थान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को शुरू करना।[3]

केंद्रीय बजट 2021-22 और 15 मुख्य मंत्रालयों के व्यय के विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

वित्त आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग (चेयर:एन. के. सिंह) को दो रिपोर्ट सौंपनी थी। पहली रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुझाव हैं, और इसे 1 फरवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखा गया था। अंतिम रिपोर्ट में 2021-26 की अवधि के लिए सुझाव हैं और इसे 1 फरवरी, 2021 को संसद के पटल पर रखा गया।[4] 2021-26 की रिपोर्ट के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा**: 2021-26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% सुझाया गया है जोकि 2020-21 के समान ही है। यह 14वें वित्त आयोग (2015-20) के सुझाव से कम है जिसने 42% के हिस्से की बात कही थी। इस 1% का समायोजन नए गठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है जिन्हें केंद्र से धनराशि दी जाएगी।
- **राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के मानदंड**: 2021-26 के लिए राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के मानदंड 2020-21 की अवधि के समान ही हैं। तालिका 2 में आयोग के मानदंडों को प्रदर्शित किया गया है, यानी क्या मानदंड इस्तेमाल किए गए हैं और हर मानदंड का वेटेज कितना है।

तालिका 2: हस्तांतरण का मानदंड

मानदंड	14 वित्त आ 2015-20	15 वित्त आ	15 वित्त आ 2021-26

		2020-21	
आय का अंतर	50.0	45.0	45.0
क्षेत्र	15.0	15.0	15.0
जनसंख्या (1971)	17.5	-	-
जनसंख्या (2011)#	10.0	15.0	15.0
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	-	12.5	12.5
वन क्षेत्र	7.5	-	-
वन और पारिस्थितिकी	-	10.0	10.0
कर और राजकोषीय प्रयास*	-	2.5	2.5
कुल	**100**	**100**	**100**

नोट: #14वें वित्त आयोग ने 'जनसांख्यिकी परिवर्तन' शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे 2011 की जनसंख्या में स्पष्ट किया गया था। *2020-21 की रिपोर्ट में 'कर प्रयास' शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मानदंड की परिभाषा वही थी।

Sources: Reports of the 14th and 15th Finance Commissions; PRS.

- **सहायतानुदान:** आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए 10.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के अनुदान का सुझाव दिया है (तालिका 3)। क्षेत्र विशिष्ट अनुदान स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे देशों के लिए सुझाए गए हैं।

तालिका 3: 2021-26 के लिए अनुदान) (करोड़ रुपए)

अनुदान	राशि
राजस्व घाटा अनुदान	2,94,514
स्थानीय सरकारों के अनुदान	4,36,361
आपदा प्रबंधन अनुदान	1,22,601
क्षेत्र विशिष्ट अनुदान	1,29,987
राज्य विशिष्ट अनुदान	49,599
कुल	**10,33,062**

Sources: Report of the 15th Finance Commission for 2021-26; PRS.

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

कोविड-19

28 फरवरी, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 1,10,46,914 पुष्ट मामले थे।[5] इनमें से 1,07,75,169 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,57,051 की मृत्यु हुई है।[5] 31 जनवरी, 2021 तक 1,43,01,266 लोगों को टीके (वैक्सीन) लग चुके हैं।[5] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। फरवरी 2021 में इस संबंध में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ाया गया

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) ने मार्च में 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन किया था।[6] इसके बाद लॉकडाउन को 13 बार बढ़ाया गया है जोकि इस बार 31 मार्च, 2021 तक लागू है।[7] गृह मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2021 में कंटेनमेंट और चेतावनियों से संबंधित दिशानिर्देशों को बढ़ाया है। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सर्विलांस और कंटेनमेंट**: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार के बाद कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन चालू रहेगा।
- **सोप्स का अनुपालन**: कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (सोप्स) के आधार पर कुछ गतिविधियों की अनुमति होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गृह मामलों के मंत्रालय की सलाह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, (ii) गृह मामलों के मंत्रालय की सलाह से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी सोप्स के अधीन, सिनेमा घर और थियेटर, और (iii) संबंधित राज्य द्वारा जारी सोप्स के अधीन, धार्मिक, राजनैतिक, खेल संबंधी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जमावड़े।

- **व्यापार पर प्रतिबंध**: व्यक्तियों और वस्तुओं की राज्यों के भीतर या राज्यों के बीच की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और इसमें पड़ोसी देशों के साथ लैंड बॉर्डर ट्रेड (संधियों के आधार पर) के जरिए आने वाले भी शामिल हैं।
- **कोविड अनुकूल व्यवहार**: राज्यों को कोविड अनुकुल व्यवहार (जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग) को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।

कार्यालयों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यालयों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (सोप) जारी किए हैं।[8] सोप की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **व्यक्तियों के लिए रोकथामकारी उपाय**: सोप में निर्दिष्ट किया गया है कि कार्यालय में सभी व्यक्ति कुछ रोकथामकारी उपायों का पालन करें। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कॉमन प्लेसेज़ में कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना, (ii) फेस मास्क का इस्तेमाल, और (iii) साबुन से बार-बार हाथ साफ करना (कम से कम 40-60 सेकेंड)।
- **कार्यालय में काम करना**: सोप में निर्दिष्ट किया गया है कि सिर्फ लक्षण रहित लोगों को कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्यालय के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस्तेमाल किए गए फेस मास्क्स और ग्लव्स का ढंके हुए डस्टबिन में उचित तरीके से निस्तारण किया जाए।
- कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को दिन में दो बार डिसइन्फेक्ट किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल्स में हैंड सैनिटाइजर्स उपलब्ध होने चाहिए और कतार में फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए फर्श पर सही तरीके से मार्किंग होनी चाहिए।
- **मामले होने की स्थिति में**: अगर कोविड-19 का मामला चिन्हित होता है तो संबंधित व्यक्ति को तब तक के लिए फेस मास्क और ग्लव्स के साथ आइसोलेट किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी डॉक्टरी जांच न हो जाए। इसके अतिरिक्त निकटवर्ती चिकित्सा केंद्र या राज्य या जिला हेल्पलाइन को इस मामले की सूचना दी जानी चाहिए।
- अगर दो या उससे कम मामलों का पता चलता है तो काम शुरू करने पहले उस इलाके को डिसइन्फेक्ट किया जाना चाहिए जहां मरीज पिछले 48 घंटे के दौरान गया है। अगर दो से ज्यादा मामलों का पता चलता है तो पूरी बिल्डिंग या काम करने की जगह को डिसइन्फेक्ट किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों को जारी किया है।[9] ये दिशानिर्देश 22 फरवरी, 2021 से वैध होंगे। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उड़ानों पर बोर्डिंग**: पहले भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिजल्ट के साथ सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म देना जरूरी था। इस फॉर्म को शेड्यूल यात्रा से 72 घंटे पहले या भारत में संबंधित हेल्थ काउंटर पर फिजिकली देना होता था।
- नए दिशानिर्देशों में सभी यात्रियों से यह अपेक्षित है कि वे अधिसूचित यात्रा से 72 घंटे पहले फॉर्म और नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देंगे। उल्लेखनीय है कि यात्रा से 72 घंटे पहले

टेस्ट कराया जाना चाहिए। फॉर्म और नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट के बिना किसी यात्री को भारत की फ्लाइट में बोर्ड करने की अनुमति नहीं है। हर यात्री को रिपोर्ट के सच होने के संबंध में एक डेक्लेरेशन फॉर्म भी जमा करना होगा।

- **भारत में आगमन**: दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिजल्ट के बिना यात्रियों को भारत में आगमन की अनुमति है, अगर वे परिवार में किसी की मृत्यु के कारण यात्रा कर रहे हैं। इस शर्त से छूट की मांग करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इससे पहले नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना यात्रियों के आगमन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था।
- **नेगेटिव रिपोर्ट की पुष्टि**: युनाइडेट किंगडम, यूरोप, मध्य पूर्व से आने वाले सभी यात्रियों को निम्नलिखित सूचना देनी होगी: (i) पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री, और (ii) भारत में कनेक्टिंग फ्लाइट्स का विवरण। इन यात्रियों को भारतीय हवाईअड्डों पर आगमन पर सेल्फ पेड कनफर्मेटरी मॉलीक्यूलर टेस्ट कराना होगा।
- युनाइटेड किंगडम, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के यात्रियों, जोकि कनेक्टिंग फ्लाइट लेना चाहते हैं, को आगमन बिंदु से निकलने की अनुमति तभी होगी, जब उनके नेगेटिव टेस्ट की पुष्टि हो जाए। अगर कोई यात्री कोविड-19 के नए स्ट्रेन के साथ पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा। 14वें दिन मरीज के सैंपल का टेस्ट किया जाएगा और जब तक सैंपल टेस्ट नेगेटिव नहीं पाया जाता तब तक उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा।

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Saket Surya (saket@prsindia.org)

2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.4% की दर से बढ़ी

2019-20 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2020) के मुकाबले 2020-21 में इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर) में 0.4% प्रतिशत की वृद्धि हुई।[10] यह वृद्धि पिछली दो तिमाही, 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 24.4% और 7.3% के संकुचन के बाद हुई है। 2019-20 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 3.3% थी।

दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में जीडीपी में 8% के संकुचन का अनुमान है।[10] यह पहले अग्रिम अनुमान के आकलन से कुछ अधिक है। जनवरी 2021 में जारी पहले अग्रिम अनुमान में 7.7% के संकुचन का अनुमान था।[11]

रेखाचित्र 1: जीडीपी में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

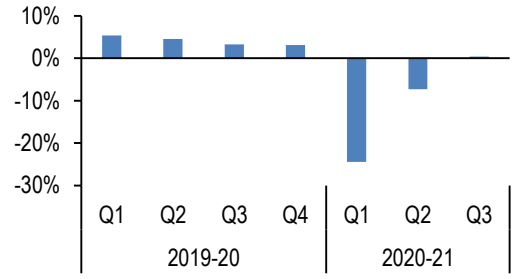

Sources: Ministry of Statistics and Programme Implementation; PRS.

आर्थिक क्षेत्रों में जीडीपी का मूल्यांकन सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) के आधार पर किया जाता है। 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक संकुचन हुआ, वे हैं, निर्माण, व्यापार, खनन और मैन्यूफैक्चरिंग। तीसरी तिमाही में जबकि व्यापार और खनन में संकुचन जारी रहा, निर्माण और मैन्यूफैक्चरिंग क्रमशः 6.2% और 6.1% की दर से बढ़े। तालिका 4 में जीवीए की क्षेत्रगत वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका 4: 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि (%, वर्ष दर वर्ष)

क्षेत्र	ति1	ति2	ति3
कृषि	3.3%	3.0%	3.9%
खनन	-18.0%	-7.6%	-5.9%
मैन्यूफैक्चरिंग	-35.9%	-1.5%	1.6%
बिजली	-9.9%	2.3%	7.3%
निर्माण	-49.4%	-7.2%	6.2%
व्यापार	-47.6%	-15.3%	-7.7%
वित्तीय सेवा	-5.4%	-9.5%	6.6%
सार्वजनिक सेवा	-9.7%	-9.3%	-1.5%
जीवीए	**-22.4%**	**-7.3%**	**1.0%**
जीडीपी	**-24.4%**	**-7.3%**	**0.4%**

नोट: जीवीए टैक्स और सबसिडी के बिना जीडीपी होता है।

Note: GVA is GDP without taxes and subsidies.
Sources: Ministry of Statistics and Programme Implementation; PRS.

2020-21 की तीसरी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन 1.1% की दर से बढ़ा

2020-21 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 1% की दर से बढ़ा, जबकि 2019-20 में इसी अवधि में इसमें 1.4% का संकुचन आया था।[12] पिछली दो तिमाही (2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही) में आईआईपी में क्रमशः 36% और 6% की गिरावट हुई थी।

2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में 22% और 7% के संकुचन के बाद खनन क्षेत्र में तीसरी तिमाही में भी संकुचन जारी रहा (4%)। मैन्यूफैक्चरिंग के आउटपुट में 1% की वृद्धि हुई, जिसमें 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में संकुचन हुआ था। बिजली उत्पादन तीसरी तिमाही में 7% बढ़ा जिसमें पहली तिमाही में 16% की गिरावट और दूसरी तिमाही में 0.1% की वृद्धि हुई थी।

रेखाचित्र 2 में 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान औद्योगिक उत्पाद में परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है।

रेखाचित्र 2: आईआईपी में वृद्धि (%, वर्ष दर वर्ष)

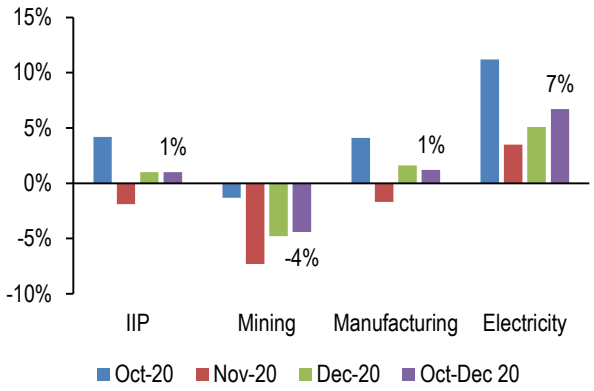

Sources: Ministry of Statistics and Programme Implementation; PRS.

रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय

मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने 2020-21 का छठा द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया।[13] पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) 4% पर बरकरार है। एमपीसी के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रिवर्स रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है) 3.35% पर अपरिवर्तनीय है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 4.25% पर अपरिवर्तनीय है।
- एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने, और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखने का फैसला किया।

एमपीसी ने 2020-21 की चौथी तिमाही में 5.2% की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। 2021-22 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 5.2% से 5% के बीच और 2021-22 की तीसरी तिमाही में 4.3% रहने का अनुमान है।

विधि एवं न्याय

ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) बिल, 2021 लोकसभा में पेश

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[14] यह बिल कुछ मौजूदा अपीलीय ट्रिब्यूनल्स को भंग करने और उनके कार्यों (जैसे अपीलों पर न्यायिक निर्णय लेना) को दूसरे मौजूदा न्यायिक निकायों (मुख्य रूप से उच्च न्यायालय) को ट्रांसफर करने का प्रयास करता है। इन अपीलीय निकायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल, (ii) ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड, और (iii) पेटेंट्स एक्ट, 1970 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड।

फाइनांस एक्ट 2017 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह 19 ट्रिब्यूनल्स (जैसे कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल) के सदस्यों की क्वालिफिकेशंस, उनकी सेवा की अवधि और शर्तों तथा सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के संयोजन से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर सकती है। बिल 2017 के एक्ट में संशोधन करता है ताकि सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी के संयोजन और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि के प्रावधानों को उसमें शामिल किया जा सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी का संयोजन**: सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे: (i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जोकि कमिटी के चेयरपर्सन होंगे (कास्टिंग वोट के साथ), (ii) केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सेक्रेटरी, (iii) वर्तमान या निवर्तमान चेयरपर्सन, या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश, और (iv) जिस मंत्रालय के अंतर्गत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, उसका सेक्रेटरी (वोटिंग अधिकार के बिना)। बिल में निर्दिष्ट है कि केंद्र सरकार को कमिटी के सुझाव की तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियां करनी होंगी।
- **कार्यकाल:** बिल में निर्दिष्ट किया गया है कि ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन का कार्यकाल चार वर्ष होगा, या उसकी आयु 70 वर्ष होने तक (इसमें से जो भी पहले हो)। ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए यह कार्यकाल चार वर्ष होगा या उनकी आयु 67 वर्ष होने तक (इनमें से जो भी पहले हो)।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल लोकसभा में पारित

Saket Surya (saket@prsindia.org)

आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2021 लोकसभा में पारित कर दिया गया।[15] यह आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट, 1996 में संशोधन करता है। एक्ट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रावधान हैं और यह सुलह प्रक्रिया को संचालित करने से संबंधित कानून को स्पष्ट करता है। बिल ऐसे ही प्रावधान करने वाले एक अध्यादेश का स्थान लेता है जिसे 4 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **फैसले पर ऑटोमैटिक स्टे**: 1996 के एक्ट में विभिन्न पक्षों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले (आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में दिए गया कोई आदेश) के निवारण (सेटिंग असाइड) के लिए आवेदन दे सकते हैं। अदालतों ने इस प्रावधान की व्याख्या इस तरह की कि अदालत के समक्ष जैसे ही निवारण के लिए कोई आवेदन रखा

जाता है, उसी क्षण आर्बिट्रेशन के फैसले पर ऑटोमैटिक स्टे लग जाएगा। 2015 में इस एक्ट में संशोधन किया गया और कहा गया कि आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले पर सिर्फ इस वजह से स्टे नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसके निवारण के लिए अदालत में कोई आवेदन दायर किया गया है।

- बिल में निर्दिष्ट किया गया है कि आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले पर स्टे दिया जा सकता है (आवेदन के लंबित रहने के बावजूद), अगर अदालत को इस बात का विश्वास है कि: (i) संबंधित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, या (ii) फैसला, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था। यह बदलाव 23 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी होगा।
- **आर्बिट्रेटर्स की क्वालिफिकेशन**: एक्ट एक अलग अनुसूची में आर्बिट्रेटर्स की कुछ क्वालिफिकेशंस, अनुभव और एक्रेडेशन के नियमों को निर्दिष्ट करता है। अनुसूची के अंतर्गत शर्तों में कहा गया है कि आर्बिट्रेटर को (i) 1961 के एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत वकील होना चाहिए और उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या (ii) उसे इंडियन लीगल सर्विस का एक अधिकारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्बिट्रेटर पर लागू सामान्य नियमों में यह भी शामिल है कि उन्हें भारतीय संविधान का जानकार होना चाहिए। बिल में इस अनुसूची को हटा दिया गया है और कहा गया है कि आर्बिट्रेटर्स की क्वालिफिकेशन, अनुभव और एक्रेडेशन के नियमों को रेगुलेशंस द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

परिवहन

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण बिल, 2020 संसद में पारित

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[16] बिल प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट एक्ट, 1963 का स्थान लेता है।[17] बिल भारत में प्रमुख बंदरगाहों के रेगुलेशन, संचालन और उनकी योजना से संबंधित प्रावधान बनाने तथा उन्हें अधिक स्वायत्तता देने का प्रयास करता है। प्रमुख बंदरगाहों में चेन्नई, कोच्चि, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कोच्चि, जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मोरमुगाव, पारादीप, वी.ओ. चिदंबरनार और विशाखापट्टनम शामिल हैं। हैं। बिल प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह पर प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है जोकि इनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करेंगे। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड:** 1963 के एक्ट के अंतर्गत सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित बंदरगाह ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह पर प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट का स्थान लेंगे।
- **दरों का निर्धारण**: 1963 का एक्ट बंदरगाहों पर उपलब्ध परिसंपत्तियों और सेवाओं की दर निर्धारित करने के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना करता है। बिल के अंतर्गत बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त कमिटी निम्नलिखित की दरों को निर्धारित कर सकती है: (i) सेवाएं जो बंदरगाहों पर संपन्न की जाती हैं, (ii) बंदरगाहों की परिसंपत्तियों तक पहुंच और उनका उपयोग, और (iii) विभिन्न श्रेणियों की वस्तुएं और पोत, इत्यादि।

- **एड्जुकेटरी बोर्ड**: बिल केंद्र सरकार द्वारा एक एड्जुकेटरी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखता है जो मौजूदा टैरिफ प्राधिकरण का स्थान लेगा। एड्जुकेटरी बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) मौजूदा टैरिफ प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य, और (ii) प्रमुख बंदरगाहों के अधिकारों और बाध्यताओं से संबंधित विवादों या दावों पर न्यायिक निर्णय लेना।
- **सजा**: 1963 के एक्ट के अंतर्गत एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विभिन्न प्रकार के जुर्मानों का प्रावधान है। उदाहरण के लिए बंदरगाह पर बिना अनुमति के कोई ढांचा खड़ा करने का जुर्माना 10,000 रुपए तक हो सकता है। बिल के अंतर्गत किसी प्रावधान या नियम या रेगुलेशन का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के ड्राफ्ट संशोधन जारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ड्राफ्ट संशोधन जारी किए हैं।[18] एक्ट मोटर वाहन के स्टैंडर्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस देने तथा इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान करता है।[19] ड्राफ्ट संशोधन सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण और प्रवर्तन को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइस (ईईडी):** ड्राफ्ट नियम ऐसे उपकरणों में स्पीड कैमरा, सीसीटीवी और बॉडी वियरेबल कैमरा शामिल करते हैं। इन उपकरणों को पुलिस द्वारा अप्रूवल सर्टिफिकेट को जारी करने के बाद चालान जारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सर्टिफिकेट को संबंधित पुलिस अधिकारियों या निर्दिष्ट अथॉरिटी द्वारा हर साल रीन्यू किया जाना चाहिए।
- **प्लेसमेंट**: राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ईईडी को निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाए: (i) राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां बहुत अधिक जोखिम और घनत्व होता है, (ii) राज्य की राजधानियों में मुख्य जंक्शंस, और (iii) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के मुख्य इलाके। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईईडी की निगरानी वाले क्षेत्रों में पहले चेतावनी भरे चिन्ह लगाए जाएं।
- **अपराध**: ईईडी को किन नियमों का उल्लंघन पर चालान जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी एक सूची ड्राफ्ट नियमों में दी गई है। इन उल्लंघनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्पीड लिमिट से अधिक पर ड्राइव करना, (ii) अनाधिकृत स्थान पर रुकना या पार्किंग करना, (iii) निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करना, जैसे सीटबेल्ट्स न लगाना, हेलमेट न पहनना, और (iv) रेड लाइट पार करना या स्टॉप के संकेत पर न रुकना। अपराध का नोटिस घटना के 15 दिनों के अंदर भेजा जाना चाहिए। अपराध को रजिस्टर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को न्यूनतम 30 दिनों तक स्टोर किया जाना चाहिए।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी

डीएनए टेक्नोलॉजी (प्रयोग और लागू होना) रेगुलेशन बिल, 2019 पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: जयराम रमेश) ने डीएनए टेक्नोलॉजी (प्रयोग और लागू होना) रेगुलेशन बिल, 2019 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है।[20] इस बिल में कुछ लोगों, जैसे पीड़ितों, अपराधियों, संदिग्धों, अंडरट्रायल लोगों और लापता लोगों की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रयोग के रेगुलेशन का प्रावधान है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **डीएनए प्रोफाइलिंग की परिभाषा**: बिल के अनुसार, किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए डीएनए सैंपल के एनालिसिस का परिणाम डीएनए प्रोफाइल कहलाता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि डीएनए प्रोफाइल को डीएनए पैटर्न के तौर पर परिभाषित किया जाए जोकि व्यक्ति की सिर्फ जेनेटिक पहचान स्थापित करे, उस व्यक्ति की विशेषताएं, जैसे शारीरिक रूप, व्यवहार या स्वास्थ्य की स्थिति नहीं।
- **डीएनए सैंपल जमा करने के स्रोत**: बिल डीएनए सैंपल जमा करने के स्रोतों की एक सूची प्रदान करता है, जैसे खून का सैंपल, बाल, और मुंह का स्वैब। इसमें शरीर के अंगों के फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग, और हैंडप्रिंट, फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट भी शामिल हैं। कमिटी ने कहा कि इस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो फोटोग्राफ, वीडियो या शरीर के किसी अंग के प्रिंट से डीएनए प्रोफाइल निकाल सके। इसलिए कमिटी ने सैंपल जमा करने के स्रोतों से इन वस्तुओं को हटाने का सुझाव दिया है।
- **राष्ट्रीय डेटा बैंक**: कमिटी ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं पहुंचाते और डीएनए प्रणाली की सटीकता और सुरक्षा को ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। इसके अतिरिक्त लैब्स को राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक के साथ डीएनए प्रोफाइल को साझा करने के बाद उसे हटा देना चाहिए।
- **डीएनए प्रोफाइल को हटाना**: बिल में प्रावधान है कि क्राइम सीन इंडेक्स की डीएनए सूचना को रखा जाएगा। अदालती आदेश पर संदिग्ध या विचाराधीन कैदी के डीएनए प्रोफाइल्स को हटा दिया जाएगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि: (i) बरी किए जाने के 30 दिनों के भीतर व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल को हटा दिया जाए, और (ii) संदिग्ध और विचाराधीन कैदी के डेटा को हटाने के प्रावधान को खत्म किया जाए।
- **नियम/रेगुलेशन बनाने की शक्ति**: बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार/डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बिल के प्रावधानों के संबंध में नियम/रेगुलेशन बनाएंगे। कमिटी ने सुझाव दिया कि इनमें से कुछ प्रावधानों में कानून द्वारा संशोधन किया जाना चाहिए। इनमें निम्नलिखित में संशोधन शामिल हैं: (i) डीएनए सबूत को किन किन मामलों में किसी व्यक्ति की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी सूची, और (ii) डीएनए सूचना का एक्सेस देने की वजहें।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें। बिल पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

जियोस्पेशल डेटा और सर्विस की खरीद और प्रोडक्शन के लिए दिशानिर्देश

Saket Surya (saket@prsindia.org)

विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग ने मैप्स सहित जियोस्पेशल डेटा और सर्विस की खरीद और प्रोडक्शन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।[21] जियोस्पेशल डेटा में व्यक्तियों की लोकेशन इनफॉरमेशन, मोबिलिटी डेटा, प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाओं जैसे मौसम की स्थिति और भूकंप

की लोकेशन और विशेषताएं (एट्रिब्यूट्स) शामिल हैं। विभाग ने कहा कि व्यापक और सटीक जियोस्पेशल डेटा की उपलब्धता से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और आपात स्थितियों की अधिक तैयारी की जा सकेगी। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जियोस्पेशल डेटा की प्रोसेसिंग:** जियोस्पेशल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए क्लियरेंस, मंजूरियों या लाइसेंस के तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। प्रोसेसिंग में कलेक्शन, जनरेशन, तैयारी, वितरण, स्टोरेज और पब्लिकेशन शामिल हैं। सेल्फ डिकलेरेशन को दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि विशेषताओं (एट्रिब्यूट्स) की एक नेगेटिव लिस्ट भी होगी जिसे मैप पर न तो चिन्हित किया जा सके, और न ही किसी लोकेशन से जोड़ा जा सके। विशेषताओं की नेगेटिव लिस्ट के लिए सटीकता की एक अलग थ्रेशहोल्ड वैल्यू और रेगुलेशंस को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- **सिर्फ भारतीय कंपनियों को अनुमति**: टेरिस्ट्रियल मोबाइल मैपिंग सर्वे, स्ट्रीट व्यू सर्वे और भारत के टेरिस्ट्रियल वॉटर्स की सर्वेइंग का काम सिर्फ भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा। थ्रेशहोल्ड वैल्यू से अधिक सटीकता वाले मैप्स या जियोस्पेशल डेटा को सिर्फ भारतीय कंपनियां बना सकती हैं, या उनके स्वामित्व में हो सकता है, साथ ही उन्हें सिर्फ भारत में स्टोर और प्रोसेस किया जाना चाहिए। विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों से अधिक सटीक डेटा को लाइसेंस करने की अनुमति होगी। हालांकि यह लाइसेंस सिर्फ भारतीय ग्राहकों को सर्व करने के लिए होगा।
- **सार्वजनिक धनराशि के इस्तेमाल से जनरेट डेटा**: सार्वजनिक धनराशि से जनरेट किए गए जियोस्पेशल डेटा को भारतीय कंपनियों को वैज्ञानिक, आर्थिक या विकासपरक उद्देश्यों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी एजेंसियां प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लाइसेंस जैसी शर्तों को खत्म करने और उपयोगी फॉरमैट में ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल उपाय करेंगी। सरकार ऐसे प्रयासों के लिए सार्वजनिक धनराशि आबंटित करके मैप्स बनाने हेतु क्राउडफंडिंग को प्रोत्साहित करेगी।

विदेशी मामले

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, 2019 पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

विदेशी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: पी.पी.चौधरी) ने एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, 2019 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है।[22] बिल मैरीटाइम पायरेसी रोकने और पायरेसी के अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस), 1982 के पायरेसी से संबंधित प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बिल की एप्लिकेबिलिटी**: बिल में प्रावधान है कि वह भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईज़ेड) की सीमाओं से लगे और उससे परे के सभी समुद्री भागों, यानी समुद्री तट के 200 नॉटिकल मील के परे सभी हिस्सों पर लागू होगा। कमिटी ने कहा है कि यूएनसीएलओएस के अंतर्गत विभिन्न देशों को अपने ईईज़ेड में एंटी पायरेसी संबंधी गतिविधियां संचालित करने का अधिकार है। उसने सुझाव दिया कि बिल की एप्लिकेबिलिटी में ईईज़ेड को भी शामिल किया जाए।
- **पायरेसी के लिए सजा**: बिल में प्रावधान है कि पायरेसी करने पर निम्नलिखित सजा हो सकती है (i) आजीवन कारावास, या (ii) मृत्यु, अगर पायरेसी में हत्या की कोशिश शामिल है और उसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है। कमिटी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनिवार्य मृत्यु दंड का प्रावधान मनमाना और अनुचित है और

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि अन्य कानूनों के प्रावधान जोकि अनिवार्य मृत्यु दंड का प्रावधान करते थे, उन्हें अदालतों ने रद्द कर दिया है। हालांकि कमिटी ने सुझाव दिया है कि पायरेसी करने के दौरान अगर नतीजा किसी की मृत्यु होता है तो उसके लिए अनिवार्य मृत्यु दंड का प्रावधान किया जा सकता है। उसने यह भी कहा कि अगर पायरेसी की कोशिश में किसी की मृत्यु नहीं होती तो मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए।

- **अदालतों का क्षेत्राधिकार:** बिल में प्रावधान है कि किसी विदेशी जहाज पर किए गए अपराध निर्दिष्ट अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, जब तक निम्नलिखित के द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं किया जाता: (i) जहाज का मूल देश, (ii) जहाज का मालिक, या (iii) जहाज पर मौजूद कोई अन्य व्यक्ति। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस प्रावधान को हटा दिया जाए।

- इसके अतिरिक्त बिल में प्रावधान है कि अदालत किसी व्यक्ति पर तब भी विचार कर सकती है, जब वह अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद न हो। कमिटी ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कमिटी ने गैरमौजूदगी की स्थिति में मुकदमा चलाए जाने पर कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाने के सुझाव दिए, जैसे: (i) अगर आरोपी को मुकदमे की जानकारी है, और (ii) आरोपी तय समय में अपील का अनुरोध नहीं करता।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें। बिल पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया यहां देखें।

गृह मामले

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल पारित

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[23] यह बिल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 में संशोधन करता है। एक्ट जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। बिल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का स्थान लेता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **निर्वाचित विधायिका संबंधी प्रावधानों को लागू करना**: एक्ट में प्रावधान है कि संविधान का अनुच्छेद 239 ए, जोकि पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू है, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 239 ए में पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें : (i) एक विधायिका होगी, जोकि चयनित, या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकती है, या (ii) एक मंत्रिपरिषद होगी। बिल में कहा गया है कि अनुच्छेद 239 ए के अतिरिक्त संविधान के ऐसे कोई भी प्रावधान, जिनमें राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों का संदर्भ हो और जो पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं, भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे।

- **प्रशासनिक कैडर्स का विलय**: एक्ट निर्दिष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियोजन के आधार पर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों की तैनातियां अरुणाचल गोवा मिजोरम केंद्र शासित (एजीएमयूटी) कैडर से की जाएगी। एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा के तीन राज्य, तथा सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बिल इन क्लॉजेज़ में संशोधन करता है और जम्मू और कश्मीर के मौजूदा कैडर के

अधिकारियों का विलय एजीएमयूटी कैडर में करता है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

राष्ट्रीय आपदा शमन कोष स्थापित

आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा शमन कोष को अधिसूचित किया गया था।[24] एक्ट केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह आपदाओं के शमन के लिए खास तौर से परियोजनाएं चलाने हेतु एक कोष की स्थापना करे। इस कोष को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी प्रबंधित करेगी जोकि भारत आपदा प्रबंधन और शमन के लिए जिम्मेदार मुख्य अथॉरिटी है।

शहरी मामले

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (संशोधन) बिल राज्यसभा में पारित

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल, 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया।[25] बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा एक्ट, 2011 में संशोधन करता है।

2011 के एक्ट में निम्नलिखित प्रावधान हैं: (i) दिल्ली शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड एक्ट, 2010 और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के प्रावधानों के अनुसार स्लम निवासियों और झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स को स्थानांतरित करना, (ii) अनाधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों (और उनके विस्तार) को नियमित करना, (iii) अनुमत भवन निर्माण की सीमाओं को तोड़कर बने फार्म हाउस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दूसरे सभी क्षेत्रों के लिए नीति या योजना बनाना, और (iv) दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत किसी निर्माण की तोड़फोड़ या सीलिंग की स्थिति में कोई दंडात्मक कार्रवाई न करना और लोगों को कम से कम तकलीफ देना। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को केंद्र सरकार ने 7 फरवरी, 2007 में अधिसूचित किया था। इसमें शहरी निर्धन वर्ग के लिए आवास और अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े मसलों से संबंधित रणनीतियों दी गई हैं। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **वैधता की अवधि**: 2011 का एक्ट 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था। बिल ने इस समय सीमा को 31 दिसंबर, 2023 कर दिया है।
- **अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण**: 2011 के एक्ट में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का प्रावधान है, (i) जोकि 31 मार्च, 2002 को मौजूद थीं, और (ii) जहां 1 जून, 2014 तक निर्माण हुआ था। बिल में इसमें संशोधन किया गया है और कहा गया है कि अनाधिकृत कालोनियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति के अधिकार को मान्यता) एक्ट, 2019 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति के अधिकार को मान्यता) रेगुलेशंस, 2019 के अनुसार नियमितीकरण के लिए चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार अनाधिकृत कालोनियां जोकि: (i) 1 जून, 2014 को मौजूद थीं, और (ii) 1 जनवरी, 2015 तक 50% विकसित हो गई थीं, वे नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन और अन्य डिजिटल इनीशिएटिव्स की शुरुआत

आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इनीशिएटिव्स की शुरुआत की है ताकि शहरी योजना और गवर्नेंस से संबंधित समस्याओं को चिन्हित और उन्हें दूर करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।[26,27] इन इनीशिएटिव्स में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम), (ii) भारतीय शहरी डेटा एक्सचेंज, (iii) स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म, और (iv) सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम।

एनयूडीएम शहरी क्षेत्रों के लिए शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेगा ताकि मंत्रालय की डिजिटल योजनाओं को एकीकृत किया जा सके और स्थानीय समस्याओं को दूर किया जा सके। उसके प्रबंधन के सिद्धांत राष्ट्रीय शहरी इनोवेशन स्टैक (एनयूआईएस) की तरह हैं जिसकी घोषणा 2019 में की गई थी। एनयूआईएस का लक्ष्य शहरी चुनौतियों को चिन्हित करना और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तेजी से हल करना था।[28]

डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम एक ओपन सोर्स इंटरफेस बनाने का प्रयास करता है जिसमें शहरी स्थानीय निकायों सहित यूजर्स शहरों, शहरी गवर्नेंस और सर्विस डिलिवरी से संबंधित डेटासेट्स को शेयर कर सकें, उनका अनुरोध और एक्सेस कर सकें। स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म शहरी गवर्नेंस में एप्लिकेशंस के लिए ओपन सोर्स कोड की रेपोजिटरी होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड संभावित बदलावों और पुनर्वितरण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को सभी नागरिकों को इनोवेशंस को डिजाइन, टेस्ट और डिलिवर करने के लिए शुरू किया गया था ताकि शहरी समस्याओं से निपटा जा सके। यह प्लेटफॉर्म स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत ऑपरेट होगा। फरवरी 2021 तक 100 स्मार्ट सिटी में 215 सॉल्यूशंस वाले 400 स्टार्टअप्स ने इसमें रजिस्टर किया है।[27]

वित्त

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल, 2020 पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: जयंत सिन्हा) ने फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[29] यह बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस करने वाली एंटिटीज़ के दायरे को बढ़ाता है।[30] फैक्टरिंग एक ऐसा लेनदेन होता है जिसमें एक एंटिटी (फैक्टर) तुरंत फंड्स हासिल करने के लिए अपने ग्राहकों के पूरे रिसिवेबल्स या उसके एक हिस्से को थर्ड पार्टी को बेच देती है। हालांकि फैक्टरिंग सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध है, कमिटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज़) के भुगतानों में देरी की समस्या को देखते हुए बिल के महत्व का उल्लेख किया। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **टीआरईडीएस को जीएसटीएन के साथ जोड़ना**: ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) एमएसएमईज़ के ट्रेड रिसिवेबल्स के वित्त पोषण का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।[31] वस्तु एवं सेवा टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) सरकार और टैक्सपेयर्स को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।[32] 2019 में यह अनिवार्य किया गया कि एक अधिसूचित सीमा से

अधिक टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स को जीएसटीएन ई-वॉयसिंग पोर्टल पर जीएसटी संबंधी कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।[33] इन दस्तावेजों में जीएसटी इनवॉयस, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए क्रेडिट और डेट नोट्स शामिल हैं।

- कमिटी ने सुझाव दिया कि जीएसटीएन ई-इनवॉयसिंग पोर्टल के साथ टीआरईडीएस को जोड़ा जाए। इससे टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर सभी जीएसटी इनवॉयस की ऑटोमैटिक अपलोडिंग हो जाएगी और इनवॉयस का रियल टाइम एक्सेस हो सकेगा। कमिटी ने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया और प्रामाणिक होगी और फैक्टर्स के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म आकर्षक बनेगा, एमएसएमईज़ के क्रेडिट फ्लो में सुधार होगा।
- **टीआरईडीएस पर सरकारी बकाये की अनिवार्य लिस्टिंग**: कमिटी के अनुसार, बिल में यह संशोधन किया जाए कि टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर केंद्र और राज्य सरकारों के रिसिवेबल्स की लिस्टिंग अनिवार्य हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एमएसएमईज़ को बकाया सरकारी भुगतान समय रहते उपलब्ध हो।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नई विनिवनेश नीति को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसईज़) के विनिवेश के लिए नई नीति को मंजूरी दी जोकि केंद्र सरकार द्वारा पीएसईज़ के स्वामित्व और नियंत्रण को अभिशासित करेगा।[34] नीति के अंतर्गत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में पीएसईज़ की मौजूदगी को कम से कम करेगी और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए जगह बनाएगी।[35] यह नीति सभी क्षेत्रों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक के आधार पर वर्गीकृत करेगी जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा की उपलब्धता, वित्तीय सेवाओं और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के मानदंडों पर आधारित होगा।

रणनीतिक क्षेत्र हैं, (i) परमाणु ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष, (ii) परिवहन और दूरसंचार, (iii) ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। नीति रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूदा पीएसईज़ की न्यूनतम मौजूदगी का प्रावधान करती है, चूंकि सरकार का लक्ष्य होल्डिंग कंपनियों (यानी कारोबार करने वाली कंपनी में शेयर्स रखने वाली कंपनी) के जरिए नियंत्रण बरकरार रखना है। रणनीतिक क्षेत्रों के सभी अन्य मौजूदा पीएसईज़ का या तो निजीकरण कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, दूसरे पीएसई में उसका विलय कर दिया जाएगा या उसकी सबसिडियरी बना दी जाएगी। रणनीतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों के मौजूदा पीएसईज़ का निजीकरण कर दिया जाएगा, या अगर व्यावहारिक हुआ, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

नई नीति केंद्रीय पीएसई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों पर लागू होगी। यह नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों के तौर पर काम करने वाले, कमजोर वर्गों को मदद देने वाले, विकासपरक या रेगुलेटरी भूमिका निभाने वाले या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण डेटा का रखरखाव करने वाले कुछ पीएसई पर लागू नहीं होगी।

आरबीआई ने लिक्विडिटी उपायों की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज़) की लिक्विडिटी को प्रभावित करने वाले कुछ उपायों की घोषणा की है।[36] इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सीआरआर को बहाल रखना**: मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण बैंकों को लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए कैश रिजर्व रेशो (सीआरआर) 4% से घटाकर 3% कर दिया गया।[37] इसकी अनुमति मार्च 2021 तक थी। बैंकों को जितनी जमा नकदी के रूप में

रखनी होती है, सीआरआर उसी का अनुपात होता है। आरबीआई ने तय किया है कि दो चरणों में सीआरआर को 4% पर बहाल किया जाएगा। बैंकों को 27 मार्च, 2021 तक सीआरआर को 3.5% करना होगा, और फिर 22 मई, 2021 तक इसे 4% किया जाएगा।

- **एमएसएफ के अंतर्गत राहत देना**: मार्च 2020 में मार्जिन स्टैंडिंग फेसिलिटी (एमएसएफ) के अंतर्गत उधारी की सीमा 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई थी।[37] यह राहत पहले 30 जून, 2020 तक थी, फिर इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया। एमएसएफ के अंतर्गत बैंक अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) का इस्तेमाल करके आरबीआई से रातों रात उधार ले सकते हैं। बैंकों को सीआरआर के ऊपर लिक्विड एसेट्स जैसे सोना और सरकारी सिक्योरिटीज़ जमा रखना होता है और एसएलआर उसका अनुपात होता है। एमएसेफ के अंतर्गत राहत को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है।

सरकारी बिजनेस के लिए निजी बैंकों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध में राहत

वित्त मंत्रालय ने सरकार से संबंधित बैंकिंग लेनदेन करने के लिए निजी बैंकों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।[38] निजी बैंकों को अब सरकार संबंधित बैंकिंग लेनदेन जैसे टैक्स, पेंशन और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्तियों और पुनर्भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बदलाव इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश आने के बाद लागू हो सकते हैं। सरकार के बैंकिंग लेनदेन मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से किए जाते हैं। 2003 में तीन निजी बैंकों (एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई) को सरकारी बिजनेस की अनुमति दी गई थी।[39] जनवरी 2012 में आरबीआई ने सभी निजी बैंकों को इस बात की अनुमति दी थी कि वे सरकारी बिजनेस कर सकते हैं।[39] बैंकों को अधिक अधिकार देने के फैसले को वित्त मंत्रालय ने सितंबर 2012 में पलट दिया।[40] मंत्रालय ने आरबीआई को सलाह दी कि वह निजी बैंकों को सरकारी कारोबार करने देने के अधिकार की व्यापक समीक्षा करे। 2015 में सरकार ने कहा कि निजी बैंकों के सरकारी कारोबार करने के अधिकार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के पर्याप्त कारण नहीं हैं।

आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों पर एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबीज़) पर एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया ताकि उनकी समस्याओं की समीक्षा की जा सके और क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा सके।[41] कमिटी की अध्यक्षता एन.एस.विश्वनाथन करेंगे जोकि आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं। कमिटी में सात अन्य सदस्य भी होंगे।

कमिटी के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आरबीआई द्वारा यूसीबीज़ के लिए किए गए रेगुलेटरी उपायों के असर का आकलन, (ii) क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सुझाए गए उपायों के रेगुलेटरी दृष्टिकोण की समीक्षा, (iii) वित्तीय तनाव के शिकार यूसीबीज़ के जल्द रेज़ोल्यूशन के लिए उपाय सुझाना, (iv) क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन, और (v) क्षेत्र के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाना।[41]

कमिटी को अपनी पहली बैठक के तीन महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।[41]

आरबीआई ने क्रेडिट डेरेवेटिव्स पर ड्राफ्ट निर्देशों को पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया

आरबीआई ने क्रेडिट डेरेवेटिव्स पर ड्राफ्ट निर्देशों को पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया।[42] क्रेडिट डेरेवेटिव्स एक डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी अंडरलाइनिंग डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। क्रेडिट डीफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) एक प्रकार का क्रेडिट डेरेवेटिव होता है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में डीसीएस बेचने वाला यह वादा करता है कि वह डेट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित किसी प्रतिकूल परिस्थिति

(जैसे डीफॉल्ट) में सीडीएस खरीदार को मुआवजा देगा। निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:[43]

- **अनुमत उत्पाद**: सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सिंगल एंटिटी द्वारा जारी डेट इंस्ट्रूमेंट पर ही आधारित हो सकते हैं और सीडीएस के लिए अंडरलाइंग दूसरे क्रेडिट डेरेवेटिव नहीं हो सकता। अनुमत उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कर्मशियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिनकी परिपक्वता एक वर्ष तक की हो, (ii) रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स, और (iii) इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के अनरेटेड बॉन्ड्स। इन डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज, या ओवर द काउंटर (ओटीसी) मार्केट में कारोबार किया जा सकता है।
- **भागीदार**: हर सीडीएस लेनदेन की काउंटर पार्टी एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जिसे आरबीआई ने इस उद्देश्य के लिए मार्केट मेकर अधिकृत किया हो। मार्केट मेकर्स ऐसी एंटिटी होते हैं जो मार्केट को लिक्विडिटी देने के लिए सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते और बेचते हैं। सभी रीटेल और नॉन रीटेल यूजर्स सीडीएस खरीद सकते हैं, हालांकि सिर्फ कुछ नॉन रीटेल यूजर्स सीडीएस बेच सकते हैं। इन नॉन रीटेल यूजर्स में बीमा कंपनियां, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स इत्यादि शामिल हैं। रीटेल यूजर्स को सिर्फ हेजिंग के लिए सीडीएस खरीदने की अनुमति है। किसी अंडरलाइंग डेट इंस्ट्रूमेंट के क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए डेरेवेटिव इंस्ट्रूमेट को इस्तेमाल करना हेजिंग कहलाता है।
- **स्टैंडर्डाइजेशन**: फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरेवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) सभी सीडीएस कॉन्टैक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड मास्टर एग्रीमेंट और सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइजिंग के लिए कनवेंशंस तैयार करेगा। अपनी खुद की प्राइजिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले विक्रेताओं को ऐसा करने का कारण बताना होगा और परिवर्तनों को स्पष्ट करना होगा।

ड्राफ्ट निर्देशों पर टिप्पणियां 15 मार्च, 2021 तक आमंत्रित हैं।

आरबीआई ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत आईएफएससी के रेमिटेंस की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत के निवासियों को देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज़) में निवेश के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) को इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।[44] लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम निवासियों को इस बात की अनुमति देती है कि वे अनुमत लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा रेमिट कर सकते हैं।[45] एलआरएस को विदेशी मुद्रा खाता खोलने, प्रॉपर्टी खरीदने या विदेशों में सिक्योरिटी में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।[45] वर्तमान में किसी निवासी को भारत में आईएफएससी में धनराशि को रेमिट करने की अनुमति नहीं है।[46]

आरबीआई अधिसूचना में निवासी व्यक्तियों को गैर निवासी एंटिटीज़ द्वारा जारी सिक्योरिटीज़ में आईएफएससीज़ में निवेश के लिए एलआरएस को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।[44] वे लोग अब इसके लिए आईएफएससी में विदेशी मुद्रा खाता भी खोल सकते हैं, हालांकि (i) इस खाते की धनराशि को अनुमत निवेशों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और (ii) निष्क्रिय धनराशि को निवेशक के घरेलू खाते में 15 दिनों के भीतर वापस भेज दिया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल पेश

लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया गया। बिल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।

संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया

है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान संसद को इस बात की अनुमति देता है कि वह अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव कर सकती है। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित

इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (आईटी एक्ट) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।[47][48] ये नियम इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरीज़ गाइडलाइन्स) नियम, 2011 का स्थान लेंगे।[49] नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

इंटरमीडियरीज़: इंटरमीडियरीज़ वे एंटिटीज़ होती हैं जोकि दूसरे लोगों की तरफ से, डेटा को स्टोर या ट्रांसमिट करती हैं और इनमें इंटरनेट या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

- **उचित कार्रवाई**: इंटरमीडियरीज़ को तुरंत उचित कार्रवाई करनी होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अदालत या सरकार के आदेश के 36 घंटों के भीतर गैरकानूनी इनफॉरमेशन का एक्सेस ब्लॉक करना, और (ii) रजिस्ट्रेशन के रद्द होने या उसके विदड्रॉअल के बाद 180 दिनों के लिए यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए एकत्र की गई इनफॉरमेशन को बहाल करना।
- **शिकायत निवारण**: इंटरमीडियरी एक शिकायत अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा ताकि नियमों के उल्लंघनों की शिकायतों को दूर किया जा सके। शिकायतों को 24 घंटे के भीतर दर्ज होना चाहिए और 15 दिनों में निपटाया जाना चाहिए।
- **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़:** भारत में एक खास संख्या से अधिक यूजर (जिसे अधिसूचित किया जाएग) वाले सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। इन इंटरमीडियरीज़ को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जैसे (i) आईटी एक्ट और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति, (ii) एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जो भारत में रहता हो, और (iii) मासिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रकाशन। इसके अतिरिक्त प्राइमरी सर्विस के तौर पर मैसेजिंग की सुविधा प्रदान करने वाले इंटरमीडियरीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर इनफॉरमेशन के पहले ओरिजिनेटर को चिन्हित करना चाहिए। अदालत या सरकार के आदेश पर इस ओरिजिनेटर का खुलासा किया जाना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य से यह आदेश दिया जाएगा जिसमें राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या यौन हिंसा जैसे अपराधों की जांच शामिल है। इंटरमीडियरी को किसी कम्यूनिकेशन के कंटेंट का खुलासा करने की जरूरत नही है।

डिजिटल मीडिया पब्लिशनर्स: डिजिटल मीडिया के पब्लिशर्स पर निम्नलिखित शामिल होंगे। इन पब्लिशर्स में (i) न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट, और (ii) ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (जिन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है) शामिल हैं।

- **आचार संहिता**: न्यूज और करंट अफेर्यर्स के लिए निम्नलिखित मौजूदा संहिता लागू होगी: (i) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के

पत्रकारीय आचरण के नियम, (ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, 1995 के अंतर्गत प्रोग्राम कोड। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कंटेंट को आयु उपयुक्त श्रेणियों में बांटना, जैसा निर्दिष्ट हो, (ii) एडल्ट कंटेंट के एक्सेस के लिए आयु सत्यापन प्रणाली को लागू करना और एक्सेस कंट्रोल उपाय जैसे पेरेंटल कंट्रोल, और (iii) विकलांग लोगों के लिए कंटेंट की एक्सेसेबिलिटी में सुधार करना।

- **शिकायत निवारण**: कंटेंट से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाना, जैसे (i) पब्लिशर का सेल्फ रेगुलेशन, (ii) पब्लिशर की सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाओं की तरफ से सेल्फ रेगुलेशन, और (iii) केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र।

कैबिनेट ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम को मंजूर किया

केंद्रीय कैबिनेट ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।[50] इसका उद्देश्य आईटी हार्डवेयर की वैल्यू चेन में घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और उसमें व्यापक निवेश को आकर्षित करना है। इस स्कीम में आईटी हार्डवेयर के निम्नलिखित सेगमेंट्स शामिल होंगे: (i) लैपटॉप्स, (ii) टैबलेट्स, (iii) ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस, और (iv) सर्वर। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कंपनियों को घरेलू स्तर पर उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर इनसेंटिव मिलता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने गौर किया कि भारत में लैपटॉप और टैबलेट्स की मांग व्यापक रूप से आयात के जरिए पूरी की जाती है। लैपटॉप और टैबलेट्स के निर्यात का मूल्य 2019-20 में क्रमशः 4.21 बिलियन USD और 0.41 बिलियन USD था।[50] चार वर्षों के दौरान प्रस्तावित योजना की कुल लागत लगभग 7,350 करोड़ रुपए है।

ब्लॉकचेन पर ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति जारी

इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन पर ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति जारी की है।[51] ब्लॉकचेन एक वितरित लेजर टेक्नोलॉजी होती है जोकि कारोबारी लेनदेन के सभी पक्षों के बीच साझा लेजर पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन में इस्तेमाल होने वाला डेटा स्ट्रक्टर एक निश्चित समय में हुए लेनदेन का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखता है। यह लेनदेन को सत्यापित करने के लिए किसी केंद्रीय एंटिटी की जरूरत को खत्म करता है।

मंत्रालय ने कहा कि टेक्नोलॉजी लेनदेन में पारदर्शिता, इम्यूटेबिलिटी और उनके प्रबंधन की कुशलता बढ़ाती है। इसमें विभिन्न डोमेन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन और ई-वोटिंग। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ब्लॉकचेन ई-गवर्नेंस में वैल्यू को जोड़ सकती है। उसने ब्लॉकचेन के उपयोग में निम्नलिखित चुनौतियों को स्पष्ट किया: (i) स्केलेबिलिटी और लेनदेन की रफ्तार, (ii) डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी, (iii) स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरऑपरेबिलिटी, और (iv) कुशल मैनपावर। ड्राफ्ट रणनीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क**: रणनीति में यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बनाया जाए। फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश के अनेक जोन्स में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की होस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। रणनीति राष्ट्रीय रिसोर्स के तौर पर ब्लॉकचेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव रखती है और ब्लॉकचेन एज़ अ सर्विस (बास) की पेशकश का सुझाव देती है। बास का अर्थ है, ब्लॉकचेन एप्लिकेशंस बनाने और होस्टिंस के लिए क्लाउड आधारित सेवाओं की पेशकश।

- रणनीति प्रस्ताव रखती है कि ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआईज़) के साथ देशी टेक्नोलॉजी स्टैक को विकसित किया जाए। एपीआईज़ में दो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट कर सकते हैं। ओपन एपीआई का मतलब यह है, सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामैटिक एक्सेस के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरफेस। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा।
- **राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं का एकीकरण**: राष्ट्रीय स्तर की निम्नलिखित सेवाओं को ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क से एकीकृत किया जा सकता है: (i) दस्तावेजों की इंस्टेंट साइनिंग के लिए ऑनलाइन सेवा ईसाइन (eSign), (ii) विभिन्न सरकारी एप्लिकेशंस के एक्सेस के लिए इस्तेमाल होने वाली सत्यापन सेवा ईप्रमाण (ePramaan) और (iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को एक्सेस करने की ऑनलाइन सेवा डिजिलॉकर (DigiLocker)।
- **क्षमता निर्माण**: रणनीति में कहा गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अल्पावधि के पाठ्यक्रमों या बूटकैंप्स करके बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रणनीति एप्लिकेशंस के विकास और टेस्टिंग तथा वर्चुअल ट्रेनिंग देने के लिए सैंडबॉक्स परिवेश बनाने की पेशकश करती है। सैंडबॉक्स वह परिवेश प्रदान करता है जिसमें बाजार भागीदार एक नियंत्रित माहौल में ग्राहकों के साथ नए उत्पादों, सेवाओं या बिजनेस मॉडल्स की जांच कर सकते हैं।

संचार

Saket Surya (saket@prsindia.org)

5जी के लिए भारत की तैयारी पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. शशि थरूर) ने 5जी के लिए भारत की तैयारी पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[52] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **5जी नेटवर्क की स्थिति**: कमिटी ने कहा कि 59 देशों (यूएसए, चीन और यूके सहित) में 118 ऑपरेटर्स ने 5जी नेटवर्क को शुरू किया है। अब तक इसे ज्यादातर सीमित स्तर पर शुरू किया गया है। भारत में कमर्शियल स्तर पर 5जी को शुरू करना बाकी है। जनवरी 2021 तक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपीज़) को 5जी के ट्रायल्स के लिए मंजूरी नहीं दी है। कमिटी ने कहा कि भारत में 5जी सेवा को शुरू करने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है। उसने 5जी सेवा के इस्तेमाल से जुड़ी निम्नलिखित चुनौतियों का उल्लेख किया: (i) स्पेक्ट्रम की अपर्याप्त उपलब्धता, (ii) स्पेक्ट्रम की उच्च कीमत, (iii) विभिन्न क्षेत्रों में 5जी की उपयोगिता का आकलन न करना, (iv) फाइब्रेशन कम होना (ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्टिविटी), और (v) बैकहॉल क्षमता का कम होना।
- **5जी के लिए स्पेक्ट्रम का आबंटन**: 5जी को शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम के नए बैंड्स का आबंटन महत्वपूर्ण है। हालांकि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अभी भी लंबित है। कमिटी ने टेलीकॉम कंपनियों की इस चिंता पर गौर किया कि 5जी स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रिजर्व प्राइज़ तय किया है (492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज (MHz), वह काफी ज्यादा है। कमिटी ने कहा कि क्षेत्र के वित्तीय दबाव को देखते हुए, और यह देखते हुए कि 5जी इकोसिस्टम अभी विकसित किया जाना है, अधिक रिजर्व प्राइज़ से 5जी को शुरू करने की सर्विस प्रोवाइडर्स की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है।

- कमिटी ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम की मौजूदा उपलब्धता के आधार पर हर ऑपरेटर के लिए लगभग 50 मेगाहर्ट्ज को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह 100 मेगाहर्ट्ज़ प्रति ऑपरेटर के विश्व औसत से काफी कम है। कमिटी ने कहा कि 4जी के मामले में भी भारत में औसत स्पेक्ट्रम प्रति ऑपरेटर विश्व औसत का लगभग एक चौथाई है। कमिटी ने कहा कि कम उपयोग का पता लगाने के लिए सभी आबंटित स्पेक्ट्रम का तत्काल ऑडिट किए जाने की जरूरत है, और इस प्रकार स्पेक्ट्रम के आबंटन को रैशनलाइज किया जा सकता है।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

वाणिज्य एवं उद्योग

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

कोविड के बाद भारतीय अर्थवयवस्था में निवेश को आकर्षित करने पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

वाणिज्य संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: वी. विजयसाय रेड्डी) ने कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करना: चुनौतियां और अवसर पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[53] कमिटी ने लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील जैसे क्षेत्रों की समस्याओं पर गौर किया। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्न शामिल हैं:

- **लॉजिस्टिक्स**: निम्नलिखित कारणों से लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत अधिक है: (i) सड़क परिवहन पर अधिक निर्भरता, (ii) सड़कों और बंदरगाहों के इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब क्वालिटी, (iii) स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में टूट फूट और (iv) अनेक स्टेकहोल्डर्स की मौजूदगी। कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने और उसे औपचारिक बनाने के कदमों को लागू करना, (ii) रेलवे और आंतरिक जलमार्ग संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, और (iii) क्षेत्र में प्रभावी विकास के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को अंतिम रूप देना।
- **ऑटोमोबाइल**: कमिटी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग को प्रोत्साहित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने की जरूरत पर बल दिया। उसने निम्नलिखित का सुझाव दिया: (i) वाहनों की जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18% किया जाए, (ii) अफ्रीकी और एशियाई देशों जैसे नए बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करना, और (iii) मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने से संबंधित मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो फेसिलिटी प्रदान करना।
- **मेडिकल डिवाइस**: कुछ मेडिकल डिवाइस पर मूल्य नियंत्रण है जोकि बिक्री की कीमत तय करता है या निर्माता पर इस बात की पाबंदी लगाता है कि वह कीमत को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकता। कमिटी ने सुझाव दिया कि मेडिकल डिवाइस का मूल्य दवाओं के मूल्य से अलग होना चाहिए और उसकी निगरानी के लिए एक अलग रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने सुझाव दिया कि मेडिकल डिवाइसेज़ रेगुलेटरी एक्ट लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में ड्रग्स (मूल्य) नियंत्रण आदेश, 2013 दवाओं और मेडिकल डिवाइसेज़ का मूल्य रेगुलेट करता है।[54]
- **इलेक्ट्रॉनिक्स**: भारत मोबाइल फोन्स का दूसरा सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरर है। हालांकि अधिकतर मोबाइल फोन्स भारत में एसेंबल होते हैं, पर उनके हिस्से दूसरी जगहों से आयात किए जाते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की अपेक्षा की जानी चाहिए और उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को कहा जाना चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को सस्ते आयात से घरेलू

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग को बचाने के लिए आयात शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

श्रम

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

श्रम संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: भर्तृहरि महताब) ने अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[55] कमिटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को राहत देने के लिए शुरू की गई योजनाओं के असर का आकलन किया। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रवासी श्रमिकों की पहचान:** कमिटी ने कहा कि अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या की जानकारी देना वाला कोई भरोसेमंद डेटाबेस नहीं है। इससे श्रमिकों के लिए राहत और कल्याणकारी उपायों को लागू करना मुश्किल हुआ है (जैसे खाद्य वितरण के लिए योजनाएं)। कमिटी ने फिर से कहा कि अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए रियल टाइम भरोसेमंद डेटाबेस बनाया जाए (खास तौर से असंगठित प्रवासी श्रमिकों के लिए)।
- **सस्ते आवास**: किफायती किराया आवासीय परिसर (एआरएचसीज़) योजना, जिसे जुलाई 2020 में शुरू किया गया, इस लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है कि प्रवासी श्रमिकों को काम करने की जगह के आस-पास सस्ते किराए पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें।[56] कमिटी ने कहा कि योजना में प्रवासी श्रमिक अलग से कोई श्रेणी नहीं हैं। वर्तमान में प्रवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या निम्न आय वर्ग के समूह (एलआईजी) के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए कमिटी ने सुझाव दिया कि एआरएचसी योजना में प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए।
- **दक्षता विकास और प्रशिक्षण**: गरीब कल्याण रोजगार अभियान को जून 2020 में शुरू किया गया था। कमिटी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में कई समस्याएं हैं जैसे (i) दक्ष श्रमिकों की मांग का कम होना, (ii) कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों का बढ़ना जिसमें दक्षता विकास का कोई प्रावधान नहीं है, और (iii) दक्षता की जरूरत का पता लगाने में कठिनाइयां। इसके अतिरिक्त कमिटी ने कहा कि नौकरियों की तलाश करने वाले 5.5 लाख लोगों में से 3.2 लाख को नौकरियों की पेशकश की गई। कमिटी ने सुझाव दिया कि दक्षता विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय को दक्षता विकास और गरीब लोगों (प्रवासियों सहित) का प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय करने चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

स्वास्थ्य

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 में ड्राफ्ट संशोधन जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 में ड्राफ्ट संशोधन जारी किए।[57] 2017 के नियम मेडिकल डिवाइस के स्टैंडर्ड्स और लाइसेंसिंग का प्रावधान करते हैं।[58] नियमों में कहा गया है कि मेडिकल डिवाइस को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) या समय समय पर मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पालन करना चाहिए। अगर बीआईएस या मंत्रालय के कोई मानदंड उपलब्ध न हों तो

डिवाइस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के मानदंडों को पालन करना चाहिए।

ड्राफ्ट संशोधनों में यह भी कहा गया है कि बीआईएस और मंत्रालय के मानदंडों के अभाव में अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड के मानदंडों को भी स्वीकार किया जाएगा।

ड्राफ्ट नियमों पर 22 मार्च, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[57]

रक्षा

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 13,700 करोड़ रुपए मूल्य की खरीद को मंजूरी दी

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 13,700 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है।[59] यह खरीद रक्षा खरीद बाय [भारतीय-आईआईडीएम (देसी स्तर पर डिजाइन, विकसित और मैन्यूफैक्चर)] श्रेणी के अंतर्गत की गई है।

इस खरीद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स भी शामिल हैं। बाय (भारतीय-आईडीडीएम) का अर्थ है, भारतीय वेंडर से उत्पादों की खरीद, जिन्हें न्यूनतम 50% देसी कंटेंट (आईसी) के साथ देसी स्तर पर डिजाइन, विकसित और मैन्यूफैक्चर किया गया है।[60] आईसी बेस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में देशी कंटेंट की लागत का प्रतिशत होता है।[60] बाय (भारतीय-आईआईडीएम) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 के अंतर्गत खरीद की एक श्रेणी है।[60]

महिला एवं बाल विकास

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधनों को मंजूरी दी।[61,62] एक्ट में कानून से संघर्षरत बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं।[62] संशोधनों में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपायों को पेश किया गया है। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एक्ट का कवरेज**: एक्ट में बच्चों का अर्थ है, 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति। हालांकि इसमें जघन्य अपराध करने वाले 16-18 वर्ष के बच्चों पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने का विशेष प्रावधान है। जघन्य अपराध वह है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सात वर्ष की न्यूनतम सजा है। प्रस्तावित संशोधनों में पहले अपरिभाषित अपराधों को 'गंभीर अपराध' के तौर पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है।
- **एडॉप्शन के आदेश:** एक्ट अदालत को इस बात का अधिकार देता है कि वह कुछ स्थितियों में एडॉप्शन के आदेश जारी कर सकती है, जैसे अगर यह बच्चे के हित में है। इसके लिए अदालत को संतुष्ट होना चाहिए। संशोधनों में प्रस्तावित है कि मामलों के समय पर निपटान के लिए जिला मेजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट एडॉप्शन के आदेश जारी कर सकते हैं।
- **बाल कल्याण कमिटी (डीडब्ल्यूसी)**: एक्ट में प्रावधान है कि देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के हित के लिए राज्य हर जिले में एक या एक से अधिक सीडब्ल्यूसी बना सकते हैं। यह सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए कुछ मानदंड बनाते हैं, जैसे (i) वह व्यक्ति कम से कम सात वर्षों तक बच्चों के स्वास्थ्य,

शिक्षा या कल्याण के कार्यों से जुड़ा रहा हो, या (ii) वह व्यक्ति बाल मनोविज्ञान, मनोरोग, कानून या सामाजिक कार्य की डिग्री वाला प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो। प्रस्तावित संशोधन सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के पात्रता मानदंडों में संशोधन करेगा।

कॉरपोरेट मामले

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

एमसीए ने छोटी कंपनियों की कैपिटल और टर्नओवर की सीमा बढ़ाई

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत छोटी कंपनियों के तौर पर वर्गीकृत होने के लिए कैपिटल और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी है।[63] पेड-अप कैपिटल की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है। टर्नओवर की सीमा दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। 2021-22 के बजट भाषण में घोषित ये बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे।[64]

इस परिवर्तन से दो लाख से ज्यादा कंपनियों के अब छोटी कंपनियों के तौर पर वर्गीकृत होने की उम्मीद है।[65] इससे इनके लिए डिस्क्लोजर की कम जरूरत होगी और फीस और जुर्माने भी कम भरने पड़ेंगे।

एमसीए ने वन पर्सन कंपनियों के नियमों में संशोधन किए

एमसीए ने वन पर्सन कंपनियों (ओपीसी) के नियमों में संशोधन किए हैं ताकि ओपीसीज़ के निगमीकरण तथा उनके दूसरी किस्म की कंपनियों में तब्दीली से संबंधित प्रावधानों में राहत दी जा सके।[66] कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 (कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत) के अनुसार, केवल भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक ओपीसी को निगमित करने का पात्र है।[67] एक व्यक्ति को भारत का निवासी माना जाता है, अगर वह भारत में पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिनों तक रहा हो। नए नियम इस शर्त को 182 दिन से घटाकर 120 दिन करते हैं। नए नियम यह भी प्रावधान करते हैं कि सभी भारतीय नागरिक, चाहे वे भारत के निवासी हों या नहीं, ओपीसी को निगमित कर सकते हैं।[68]

2014 के नियमों में प्रावधान है कि निगमीकरण के दो वर्ष बाद ही ओपीसी किसी दूसरे किस्म की कंपनी में बदल सकती हैं, बशर्ते: (i) उसका पेड-अप कैपिटल 50 लाख रुपए से अधिक है, या (ii) उसका औसत वार्षिक टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक है। नए नियम में यह अनिवार्य नहीं है कि ओपीसी की पेड-अप कैपिटल और वार्षिक टर्नओवर की सीमा बढ़ने पर ही वह पब्लिक या निजी कंपनी बन सकती है। एक ओपीसी कभी भी पब्लिक या निजी कंपनी बन सकती है, अगर वह पब्लिक या निजी कंपनी के पेड-अप कैपिटल या निदेशकों संख्या की शर्त को पूरी करती हो। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि अगर किसी निजी कंपनी का शेयर कैपिटल और वार्षिक टर्नओवर क्रमशः 50 लाख रुपए और दो करोड़ रुपए से अधिक होता है तो वह ओपीसी में बदल सकती है।

इन नए नियमों की घोषणा 2021-22 के बजट भाषण में की गई थी और ये 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे।[69]

खनन

Saket Surya (saket@prsindia.org)

खदान और खनिज एक्ट में ड्राफ्ट संशोधन जारी

खान मंत्रालय ने खदान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) में प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[70] एमएमडीआर एक्ट भारत में खनन क्षेत्र को रेगुलेट करता है। प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **वैधानिक मंजूरियों का ट्रांसफर**: एक्ट में प्रावधान है कि एक्सपायरिंग माइनिंग लीज़ी से नए लीज़ी को वैधानिक मंजूरियों का ट्रांसफर दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। नए लीज़ी को इस अवधि के दौरान नई मंजूरी हासिल करनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि नए लीज़ी को इस निर्दिष्ट अवधि में मंजूरी हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए माइनेबल रिजर्व के खत्म होने तक वैधानिक मंजूरियों का ट्रांसफर वैध होना चाहिए।
- **कैप्टिव खदानों द्वारा खनिजों की बिक्री:** कैप्टिव खदानों (कोयला, कोयला लिग्नाइट और एटॉमिक खनिज के अतिरिक्त) के लीज़ी को वर्ष के दौरान निकाले गए 50% खनिजों की बिक्री की अनुमति होगी, और इसके लिए संबंधित प्लांट की शर्तों को पूरा करना होगा। लीज़ी को इस बिक्री के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। यह देय अतिरिक्त राशि रॉयल्टी का एक प्रतिशत होगी।
- **सरकारी कंपनियों द्वारा देय अतिरिक्त शुल्क**: एक्ट के अंतर्गत अगर खनन ब्लॉक (कोयला, लिग्नाइट और अटॉमिक खनिज) किसी सरकारी कंपनी के लिए रिजर्व है, तो कंपनी को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। वर्तमान में इन शुल्कों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। संशोधनों में प्रस्तावित है कि सरकारी कंपनियों को खनन लीज़ देने और उसे बढ़ाने के लिए एक्ट में अतिरिक्त शुल्क को निर्दिष्ट किया जाए।
- **केंद्र सरकार की नीलामी**: एक्ट के अंतर्गत राज्य खनिज कनसेशंस की नीलामी करते हैं। संशोधनों में केंद्र सरकार को नीलामी करने की शक्ति दी गई है, अगर राज्य सरकार को नीलामी करने में कोई समस्या आती है या वह नीलामी नहीं कर पाती।
- **कैप्टिव खदानों से कोयले की बिक्री**: कैप्टिव खदानों से निकले गए कोयले की अधिकतम 50% मात्रा की बिक्री की जा सकती है। इस बिक्री के लिए देय अतिरिक्त राशि को कोयला मंत्रालय निर्दिष्ट करेगा।

खनिज कनसेशन नियम में संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित

खान मंत्रालय ने खदान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) के अंतर्गत जारी खनिज (अटॉमिक और हाइड्रो कार्बन्स एनर्जी मिनरल्स के अतिरिक्त) कनसेशन नियम, 2016 में ड्राफ्ट संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[71] एमएमडीआर एक्ट भारत में खनन क्षेत्र को रेगुलेट करता है।

2016 के कनसेशन नियमों में प्रावधान है कि भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक, सोने और चांदी सहित निर्दिष्ट धातुओं का औसत बिक्री मूल्य प्रकाशित करेगा।[72] एल्यूमीनियम, कॉपर और जिंक जैसी कुछ धातुओं के लिए महीने का औसत बिक्री मूल्य लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में उस धातु के डेली सेटेलमेंट प्राइज का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है। ड्राफ्ट संशोधनों में कहा गया है कि अगर एलएमई डेली सेटेलमेंट प्राइज को प्रकाशित नहीं करता तो आईबीएम द्वारा प्रकाशित मासिक औसत मूल्य के जरिए उस धातु के लिए एमएमई द्वारा प्रकाशित मासिक औसत मूल्य का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाएगा। 21 मार्च, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[71]

ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

मिश्रित स्रोतों से राउंड द क्लॉक बिजली की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

ऊर्जा मंत्रालय ने मिश्रित स्रोतों (अक्षय ऊर्जा स्रोतों तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का सम्मिश्रण) से राउंड द क्लॉक (आरटीसी) बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी

बिडिंग प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए हैं।[73] इन दिशानिर्देशों को जुलाई 2020 में जारी किया गया था ताकि अक्षय ऊर्जा तथा दूसरे स्रोतों (जो अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं हैं) की बंडलिंग की जा सके। इससे अक्षय ऊर्जा की अनिरंतर प्रकृति की चुनौतियों से निपटा जा सकता है।[74,75] संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नॉन शेड्यूल बिजली से प्राप्त राशि को साझा करने की सीमा**: बिजली उत्पादकों और खरीदारों को बिजली की बिक्री के लिए एक फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग प्रक्रिया का पालन करना होता है। अगर शेड्यूल के हिसाब से खरीदार बिजली की खरीद नहीं करता तो खरीदार को उत्पादक को हर्जाना देना होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक थर्ड पार्टी को नॉन-शेड्यूल बिजली बेच सकता है और मुआवजे से प्राप्त राशि को समायोजित कर सकता है। बिजली उत्पादकों को खरीदार के साथ गैर शेड्यूल बिजली (शेड्यूल के बिना बिजली देना) की बिक्री से प्राप्त राशि का कुछ हिस्सा साझा करना होगा।
- अक्षय ऊर्जा के लिए संशोधनों में 90% नेट रियलाइजेशन की शेयरेबल मात्रा को बढ़ाकर 95% किया गया है। गैर अक्षय ऊर्जा के लिए 50% नेट रियलाइजेशन (वेरियेबल चार्ज को हटाकर) को बढ़ाकर 95% किया गया है (वेरियेबल चार्ज को हटाकर)।
- **अप्रत्याशित घटना पर फैसले की अवधि**: संशोधन में बिजली उत्पादों के अप्रत्याशित घटना के दावों पर खरीदार की फैसला लेने की अवधि को 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। अप्रत्याशित घटना के दावे का अर्थ है, अनियंत्रित घटनाओं जैसे भूकंप और बाढ़ की स्थिति में राहत के लिए दावा करना (जैसे प्रदर्शन संबंधी बाध्यताओं से छूट)।

रसायन एवं उर्वरक

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना मंजूर

केंद्रीय कैबिनेट ने 2020-21 से 2028-29 की अवधि में फार्मास्यूटिकल्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना को मंजूर कर दिया है।[76] योजना फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए अंब्रेला योजना का हिस्सा है। योजना का उद्देश्य निवेश और उत्पादन बढ़ाकर तथा उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की मैन्यूफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ाना है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **टार्गेट ग्रुप्स:** फार्मास्यूटिकल गुड्स के मैन्यूफैक्चरर्स को उनके विश्वस्तरीय मैन्यूफैक्चरिंग राजस्व (जीएमआर) के आधार पर दोबारा से समूह में बांटा जाएगा। ये समूह फार्मास्यूटिकल गुड्स के जीएमआर (2019-20) के आवेदक होंगे: (i) समूह ए: 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक, (ii) समूह बी: 500 करोड़ रुपए और 5,000 करोड़ रुपए के बीच, और (iii) समूह सी: 500 करोड़ रुपए से कम। एमएसएमई उद्योग के लिए एक उप समूह इस समूह के भीतर बनाया जाएगा।
- **इनसेंटिव्स**: योजना के अंतर्गत कुल 15,000 करोड़ रुपए का इनसेंटिव है (प्रशासनिक व्यय सहित)। टार्गेट ग्रुप में इनसेंटिव्स का आबंटन इस प्रकार है: (i) समूह ए: 11,000 करोड़ रुपए, (ii) समूह बी: 2,250 करोड़ रुपए, और (iii) समूह सी: 1,750 करोड़ रुपए।
- समूह ए और समूह सी के लिए इनसेंटिव को किसी दूसरी श्रेणी में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। समूह सी के आवेदकों को मिले इनसेंटिव को, अगर इस्तेमाल नहीं किए जाते तो समूह ए के आवेदकों को मिल जाएंगे।
- **कवर किए गए गुड्स**: योजना के अंतर्गत कवर किए गए गुड्स को निम्नलिखित में श्रेणीबद्ध

किया जाएगा: (i) श्रेणी 1: इसमें जटिल जेनेरिक ड्रग्स, पेटेंट ड्रग्स और सेल आधारित या जीन थेरेपी ड्रग्स शामिल हैं, (ii) श्रेणी 2: इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडियंट्स और मुख्य स्टार्टिंग मैटीरियल शामिल हैं, और (iii) श्रेणी 3: श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में न आने वाली ड्रग्स, जैसे रीपर्पज्ड ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स और एंटी डायबिटिक ड्रग्स।

- **इनसेंटिव की दर**: योजना के अंतर्गत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए इनसेंटिव की दर उत्पादन के पहले चार वर्षों के लिए 10% (उत्पादों की बिक्री मूल्य का), पांचवें वर्ष 8% और छठे वर्ष 6% होगी। श्रेणी 3 के लिए इनसेंटिव की दर उत्पादन के पहले चार वर्षों के लिए 5% (उत्पादों की बिक्री मूल्य का) पांचवें वर्ष 4% और छठे वर्ष 3% होगी।

पृथ्वी विज्ञान

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

ब्ल्यू इकोनॉमी के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत की ब्ल्यू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया।[77,78] नीली अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधन और समुद्री तथा तटवर्ती तटीय क्षेत्रों में मानव निर्मित आर्थिक अवसंरचनाएं शामिल होती हैं। इस पॉलिसी में ऐसी रणनीति प्रस्तुत की गई है जिसे अपनाकर सरकार सतत विकास के लिए समुद्री संसाधनों का उपयोग कर सकती है। रणनीति निम्नलिखित का प्रयास करती है: (i) जीडीपी में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना, (ii) तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना, (iii) समुद्री जैवविविधता का संरक्षण करना, और (iv) समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की सुरक्षा को बरकरार रखना। ड्राफ्ट नीति के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:[78]

- **नीली अर्थव्यवस्था का योगदान**: भारत में नीली अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी का लगभग 4% अनुमानित है लेकिन अगर अधिक भरोसेमंद तरीका अपनाया जाए तो यह और बढ़ सकता है। नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित भरोसेमंद डेटा जमा करने के लिए एक नए ठोस प्रणाली को तैयार किया जाना चाहिए। क्षेत्र और उन गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया जाना चाहिए जोकि इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है।
- **तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पर्यटन**: समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय विशेषताओं, भूगोल और उपलब्ध संसाधनों के मौजूदा उपयोग हेतु ए मैप्स और डेटा के जरिए तटीय समुद्री स्थानिक योजना बनाई जानी चाहिए। उसके विस्तार और प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए।
- **सतत समुद्री मत्स्योद्योग**: पॉलिसी निम्नलिखित का सुझाव देती है: (i) क्षेत्र के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति और समुद्री मत्स्योद्योग के प्रभावी प्रबंधन के लिए कानूनी एवं संस्थागत संरचना स्थापित करना, और (ii) मत्स्योद्योग और संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन और रेगुलेशन के लिए डेडिकेटेड सेटेलाइट प्रणाली की तैनाती की संभावनाएं तलाशना।
- **कानूनी और रेगुलेटरी सुधार**: इन सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) नीली अर्थव्यवस्था के विकास और रेगुलेशन के लिए कानूनी संरचना को लागू करना, (ii) मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट्स के दायरे में संशोधन करके, मत्स्योद्योग और संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन और रेगुलेशन के लिए केंद्रीय कानून बनाना, और (iii) क्वारंटाइन और सर्टिफिकेशन सेवाओं सहित समुद्री रोगों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय कानून को पेश करना।

[1] Bulletin II, Lok Sabha, January 29, 2021, http://loksabhadocs.nic.in/bull2mk/2021/29012021.pdf.

[2] Bulletin II, Lok Sabha, February 13, 2021, http://loksabhadocs.nic.in/bull2mk/2021/15.02.2021.pdf.

[3] Union Budget 2021-22, February 1, 2021, https://www.indiabudget.gov.in/.

[4] Report of the 15th Finance Commission for 2021-26, https://fincomindia.nic.in/ShowContent.aspx?uid1=3&uid2=0&uid3=0&uid4=0.

[5] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on January 31, 2021, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[6] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, March 24, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAorder%20copy.pdf

[7] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, February 26, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderdt_2622021.pdf.

[8] Guidelines for International Arrivals, February 17, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf.

[9] No. 3/3/2020-DIPAM-II-B (E), Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, February 4, 2021, https://www.dipam.gov.in/dipam/downloadFile?fileUrl=resources/pdf/latest-whats-new/New%20PSE%20Policy%20for%20Atmanirbhar%20Bharat.pdf.

[10] Second Advance Estimates of National Income, 2020-21 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for the Third Quarter (October-December) 2020-2021, Press Note, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 26, 2021, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359//PRESS%20NOTE%20SAE%2026-02-20211614341126263.pdf/c0c19d9d-1fdd-f0ae-02f1-e2d23875ac60.

[11] First Advance Estimates of National Income 2020-2021, Press Release, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 7, 2021, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359/Presss%20note_FAE-2020-211610021181596.pdf/.

[12] "Quick Estimates of Index of Industrial Production and Use Based Index for the Month of December 2020 (Base 2011-12=100)", Press Release, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 12, 2021, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359//iipdec201613132122372.pdf/5f8ff373-92b7-0169-8ec8-56a43587a704.

[13] Monetary Policy Statement, 2020-21, Reserve Bank of India, February 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR105055BEF93017054F9BAF12623CBCCE60DB.PDF.

[14] The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Bill, 2021, Ministry of Finance, February 13, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/19_2021_LS_Eng.pdf.

[15] The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021, Lok Sabha, February 2021, https://loksabhatv.nic.in/bill-passed-120221-1943-arbitration-and-conciliation-amendment-bill-2021.

[16] "Parliament today passes landmark Major Port Authorities Bill,2020", Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, February 10, 2021.

[17] The Major Port Authorities Bill, 2020, March 12, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/The%20Major%20Port%20Authorities%20Bill%2C%202020.pdf.

[18] GSR 136(E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, February 26, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225462.pdf.

[19] Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and Highways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1798/1/AAA1988___59.pdf.

[20] Report no. 314th on the DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019, Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change, February 3, 2021, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/DNA%20Report.pdf.

[21] DST F.No.SM/25/02/2020 (Part-I), Department of Science and Technology, February 15, 2021, 2021, https://dst.gov.in/sites/default/files/Final%20Approved%20Guidelines%20on%20Geospatial%20Data.pdf.

[22] Report on the Anti-Maritime Piracy Bill, 2019, Standing Committee on External Affairs, February 11, 2021, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/17_External_Affairs_6.pdf.

[23] The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021, Lok Sabha, February, 2021, https://loksabhatv.nic.in/jammu-and-kashmir-reorganisation-amendment-bill-2021-passed-130221-1518.

[24] S.O. 563(E), Ministry of Home Affairs, February 5, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224977.pdf.

[25] The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2021, Ministry of Housing and Urban Affairs, February, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/Nct%20Delhi%20passed%20by%20RS%2009022021%20-%20E.pdf.

[26] National Urban Digital Mission (NUDM) & Several Digital Initiatives Launched For Transforming Urban Governance, Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, February 23, 2021.

[27] City Innovation Exchange (CiX) Launched for Fostering Innovation in Urban Ecosystem, Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, February 25, 2021.

[28] National Urban Innovation Stack: Strategy and Approach, Ministry of Housing and Urban Affairs, February, 2019, https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/nuis_master_doc_07.01.19_v5_0.pdf.

[29] 24th Report of the Standing Committee on Finance, 2020-21, February 2021, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/SCR%20-%20Factoring%20Regulation%20%28Amendment%29%20Bill%2C%202020.pdf.

[30] The Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Factoring%20Regulation%20Bill%2C%202020.pdf.

[31] Trade Receivables Discounting System (TReDS), Frequently Asked Questions, Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=132.

[32] Goods and Services Tax Network, https://www.gstn.org.in/about-us.

[33] E-Invoice, Goods and Services Tax Network, https://www.gstn.org.in/e-invoicing.

[34] No. 3/3/2020-DIPAM-II-B (E), Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, February 4, 2021, https://www.dipam.gov.in/dipam/downloadFile?fileUrl=resources/pdf/latest-whats-new/New%20PSE%20Policy%20for%20Atmanirbhar%20Bharat.pdf.

[35] Annexure III, Budget Speech, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.

[36] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, February 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR105160464FA5D1484207801CF6B4402501C1.PDF.

[37] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, March 27, 2020,

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR21302E204AFFBB614305B56DD6B843A520DB.PDF.

[38] "Embargo lifted on grant of Government Business to Private Banks", Press Information Bureau, Ministry of Finance, February 24, 2021.

[39] Government Agency Business Arrangement- Appointment of Private Sector Banks as Agency Banks of Reserve Bank of India (RBI), Reserve Bank of India, January 31, 2012, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=6978&Mode=0.

[40] Office memorandum- Government agency business arrangement- appointment of private sector banks as agency banks of RBI, Ministry of Finance, April 9, 2015, http://cga.nic.in/writereaddata/ApptPvtSecBanksasAgencyBanks_13042015(1).pdf.

[41] "RBI announces constitution of an Expert Committee on Primary (Urban) Co-operative Banks", Press Release, Reserve Bank of India, February 15, 2021.

[42] "RBI releases Draft Reserve Bank of India (Credit Derivatives) Directions, 2021 under Section 45 W of the RBI Act, 1934", Press Release, Reserve Bank of India, February 16, 2021.

[43] Reserve Bank of India (Credit Derivatives) Directions, 2021- Draft, Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3962.

[44] Remittances to International Financial Services Centres (IFSCs) in India under Liberalised Remittance Scheme (LRS), Reserve Bank of India, February 16, 2021, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12029&Mode=0.

[45] Master Direction- Liberalised Remittance Scheme, Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=10192.

[46] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, February 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR105160464FA5D1484207801CF6B4402501C1.PDF.

[47] G.S.R. 139 (E), The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, Ministry of Electronics and Information Technology, February 25, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/225464.pdf.

[48] "Government notifies Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021", Press Information Bureau, Ministry of Electronics and Information Technology, February 25, 2021.

[49] G.S.R. 314 (E), The Information Technology (Intermediaries guidelines) Rules, 2011, Ministry of Electronics an information Technology, April 11, 2011, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/GSR314E_10511%281%29_0.pdf.

[50] "Cabinet approves Production Linked Incentive Scheme for IT Hardware", Press Information Bureau, Ministry of Electronics and Information Technology, February 24, 2021, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Press-Release_%20PLI_for_IT_Harware.pdf.

[51] Draft of National Strategy on Blockchain, Ministry of Electronics and Information Technology, February 16, 2021, https://www.meity.gov.in/content/draft-national-strategy-blockchain.

[52] "21st Report: India's preparedness for 5G", Standing Committee on Information Technology, February 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Information%20Technology/17_Information_Technology_21.pdf.

[53] 158th Report of the Standing Committee on Commerce, February 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/13/141/158_2021_2_13.pdf.

[54] "Medical Devices notified as Drugs w.e.f. 1st April 2020 vide Notification dated 11th February 2020 issued by Ministry of Health & Family Welfare to be governed under the provisions of Drugs (Prices Control) Order, 2013", Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilizers, March 31, 2020.

[55] 16th Report of the Standing Committee on Labour, 2020-2021, February 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Labour/17_Labour_16.pdf..

[56] Pradhan mantri Awas Yojna – Urban, Ministry of Housing and Urban Affairs, http://arhc.mohua.gov.in/Launch-of-ARHCs-Knowledge-Pack.html.

[57] G.S.R. 98(E), Ministry of Health and Family Welfare, February 5, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224978.pdf.

[58] G.S.R. 78(E), Ministry of Health and Family Welfare, January 31, 2017, https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/system/modules/CDSCO.WEB/elements/download_file_division.jsp?num_id=MzMzNg==.

[59] "DAC approves proposals worth Rs 13,700 crore", Press Information Bureau, Ministry of Defence, February 23, 2020.

[60] Defence Acquisition Policy, 2020, Ministry of Finance, September 28, 2020, https://www.mod.gov.in/dod/sites/default/files/DAP2030new.pdf.

[61] "Cabinet approves Amendments to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015", Press Information Bureau, Cabinet, February 17, 2021, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1698684.

[62] The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2148/1/A2016_02.pdf.

[63] Notification No. G.S.R. 92(E), Ministry of Corporate Affairs, February 1, 2021, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Notification%20-%20Copy%202.pdf.

[64] Budget Speech, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.

[65] "MCA revises threshold for paid up capital and turnover for Small Companies", Press Information Bureau, Ministry of Corporate Affairs, February 3, 2021.

[66] "MCA amends One Person Companies (OPCs) rules", Press Information Bureau, Ministry of Corporate Affairs, February 3, 2021.

[67] Companies (Incorporation) Rules, 2014, Ministry of Corporate Affairs, March 31, 2014, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NCARules_Chapter2.pdf.

[68] Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2021, Ministry of Corporate Affairs, February 1, 2021, http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/Notification%202.pdf.

[69] Budget Speech, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.

[70] "Brief Note for consultation with stakeholders and public on the supplementary proposals for Amendment of the Minerals and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957", Ministry of Mines, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/NoticforPLCP09022021.pdf.

[71] Draft of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Amendment Rules, 2021, Ministry of Mines, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/10202016094948MCR_2016_18092016%20from%20SKS.pdf.

[72] The Minerals (Other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/10202016094948MCR_2016_18092016%20from%20SKS.pdf.

[73] Resolution No. 23/05/2020-R&R, Ministry of Power, February 5, 2021,

https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Resolution%20_5th_Feb_21_on_Amendmnet_to_Guidelines_for_Procurement_of_RTC_RE_power_complimented_with_Power_from_any_other_source_or_storage.pdf.

[74] Resolution No. 23/05/2020-R&R, Ministry of Power, July 22, 2020, https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Notification_dated_22_July_2020.pdf.

[75] Gazette Resolution No. 23/05/2020-R&R.-1.0, Ministry of Power, November 3, 2020, New Delhi, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222946.pdf.

[76] "Cabinet approves Production Linked Incentive Scheme for Pharmaceuticals", Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilisers, February 24, 2021.

[77] "Ministry of Earth Sciences invites stakeholders' suggestions on the Draft Blue Economy Policy for India', Press Information Bureau, Ministry of Earth Sciences, February 17, 2021, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1698608.

[78] Draft Policy Framework for India's Blue Economy, Economic Advisory Council to the Prime Minister, September 2020, https://moes.gov.in/writereaddata/files/BlueEconomyPolicy.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।